प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर का वांछित अभियुक्त अवैध कच्ची शराब व भट्ठी सहित गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना संदना पुलिस द्वारा दिनांक 04.01.2021 को मु0अ0सं0 322/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना संदना जनपद सीतापुर में वांछित अभियुक्त रामराज पुत्र महेश्वर नि0ग्राम लोहंगपुर थाना संदना जनपद सीतापुर को 10 लीटर अवैध शराब व भट्ठी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 04/2021 अंतर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब तस्करी के अपराध कारित करता है। अभियुक्त की संपत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पता- रामराज पुत्र महेश्वर नि0 ग्राम लोहंगपुर थाना संदना सीतापुर।

बरामदगी- 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व भट्ठी

पुलिस टीम –

1. उप निरीक्षक श्री जयकृष्ण तिवारी
2. का0 बृजेंद्र सिंह
3. का0 रामसेवक
4. का0 सोहन सिंह

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 50/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना संदना सीतापुर
2. मु0अ0सं0 43/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 332/353/307 भादवि थाना संदना सीतापुर
3. मु0अ0सं0 205/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना संदना सीतापुर
4. मु0अ0सं0 322/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना संदना जनपद सीतापुर
5. मु0अ0सं0 04/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना संदना सीतापुर

थाना-सन्दना-सीतापु